मध्यप्रदेश शासन

विधि और विधायी कार्य विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2025–2026

जनवरी 2026

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2026

मध्यप्रदेश शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2025–2026

जनवरी 2026

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2026

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

विभागीय संरचना

	विधि मंत्री		माननीय मुख्यमंत्री जी

सचिवालय

1.	प्रमुख सचिव	....	....
2.	सचिव	श्री मुकेश कुमार	उच्च न्यायिक सेवा
3.	सचिव	श्री अनिल कुमार पाठक	उच्च न्यायिक सेवा
4.	अतिरिक्त सचिव	1. श्री सुशील कुमार	उच्च न्यायिक सेवा
		2. श्री प्रवीण हजारे	उच्च न्यायिक सेवा
		3. श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल	उच्च न्यायिक सेवा
		4. श्री निशिथ खरे	उच्च न्यायिक सेवा
		5. श्री रामप्रकाश गुप्ता	सचिवालयीन सेवा
5.	अवर सचिव	श्री यशवंत सिंह बडैरिया	सचिवालयीन सेवा (संविदा)
6.	अवर सचिव	श्री लालचंद मेहरचंदानी	सचिवालयीन सेवा (संविदा)
7.	स्टॉफ ऑफीसर	सुश्री सुधा मालवीय	सचिवालयीन सेवा
8.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	श्रीमति ज्योति	वित्त एवं लेखा सेवा

Law and Legislative Affairs Department
Set up

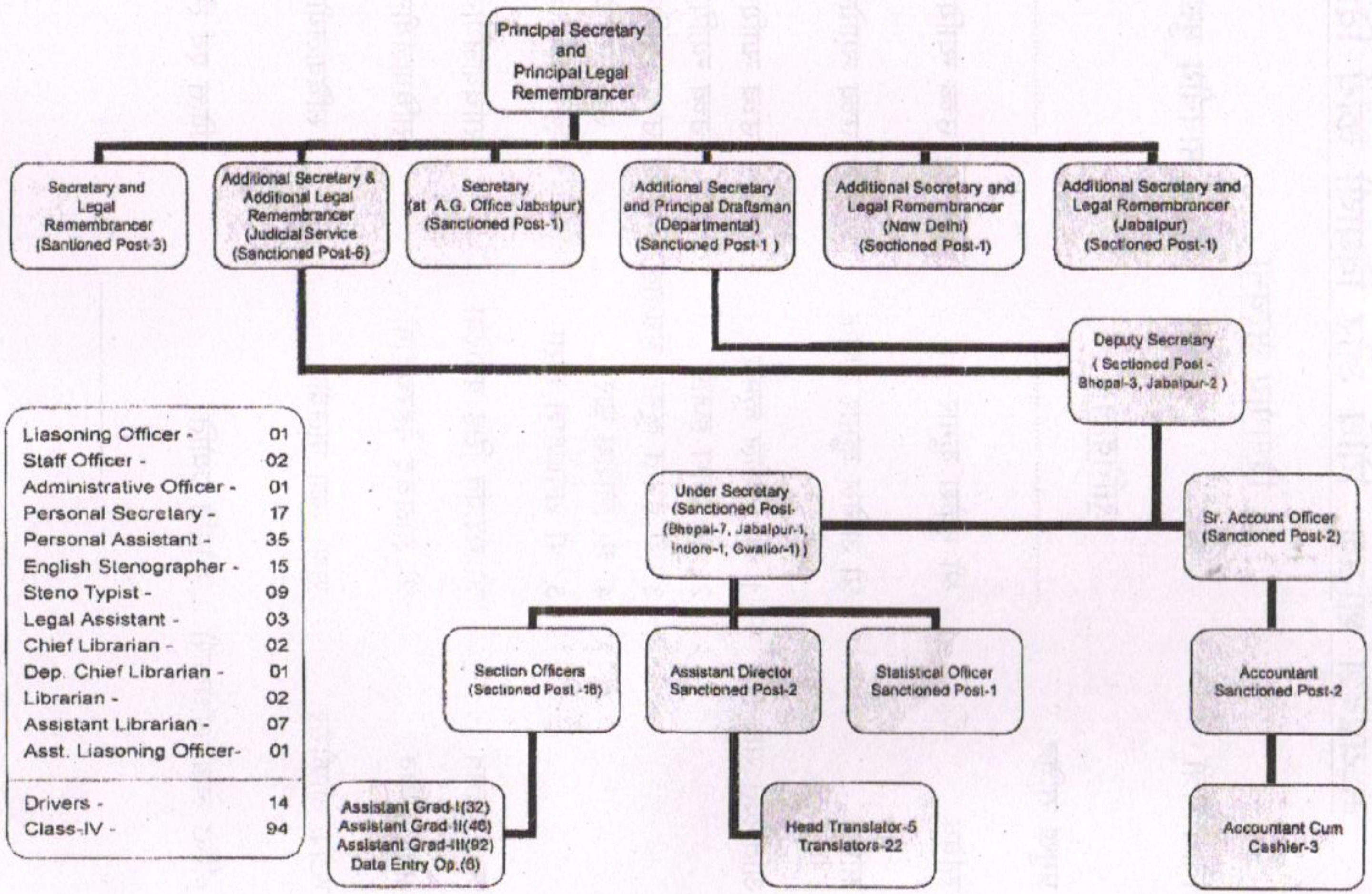

विधि विभाग नियमावली के अनुसार विधि विभाग का कार्य तीन भागों में अर्थात् 'अ', 'ब' तथा 'स' में बंटा हुआ है :–

भाग–अ

इस भाग में मुख्यतः विधायी प्रारूपण का कार्य होता है :–

प्रारूपण शाखा:– इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेश का परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

विधीक्षा शाखा (अंग्रेजी) :– इस शाखा में शासन के विभागों से प्राप्त नियमो, विनियमों उपविधियों, आदेशों अधिसूचनाओं आदि अधीनस्थ विधायन के अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन किया जाता है।

भाग–ब

इस भाग में न्याय प्रशासन से संबंधित कार्य होता है:–

उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण को छोड़कर रजिस्ट्री में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों तथा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों की स्थापना तथा शासकीय अधिवक्ताओं एवं विशेष अधिवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है. यह शाखा मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की प्रशासकीय शाखा के रूप में कार्य करती है।

भाग–स (1)

इस भाग में मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरणों के अभियोजन एवं प्रतिरक्षण का कार्य होता है। इस भाग में बंदियों की दया याचिका, समय पूर्व मुक्ति प्रकरणों की वापसी एवं शासकीय सेवकों के विरूद्ध अभियोजन अस्वीकृति पर अभिमत देने का कार्य भी किया जाता है।

सामान्यतः उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से महाधिवक्ता सहित विधि अधिकारीगण पैरवी करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में तीन स्टेंडिंग कौंसिल राज्य के लिये नियुक्त है तथा विभिन्न कनिष्ठ एवं वरिष्ठ पैनल में नियुक्त अधिवक्ताओं से भी पैरवी कराई जाती है। नई दिल्ली में इस विभाग का उप कार्यालय स्थापित किया गया है, जो प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करता है।

भाग–स (2)

परामर्श शाखा.– इस शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरणों में अभिमत देने का कार्य किया जाता है. उप सचिव स्तर से सचिव स्तर तक प्रकरण का परीक्षण किया जाकर, प्रमुख विधि परामर्शी स्तर पर अभिमत दिया जाता है।

विभाग के अधीन सेवाओं के नाम

1. मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा
2. राज्य विधिक सेवा,
3. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा,

विधि विभाग के अधीन कार्यरत अधिकरण एवं प्राधिकरण

1. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
2. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण,

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958
2. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870
3. वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887
4. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
5. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
6. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
7. हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956
8. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
9. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
10. पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936
11. विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869
12. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939

13. संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866
14. भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872
15. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
16. सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
17. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
18. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
19. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
20. प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920
21. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882
22. शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913
23. महाप्रशासक अधिनियम, 1963
24. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
25. शपथ अधिनियम, 1969
26. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
27. मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गो के लिए विधिक सहायता तथा राज्य विधिक सलाह अधिनियम, 1976
28. अधिवक्ता अधिनियम, 1961
29. नोटरी अधिनियम, 1952
30. न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971
31. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
32. दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932
33. माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996
34. परिसीमा अधिनियम, 1963
35. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983
36. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
37. मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982
38. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ को अपील अधिनियम, 2005
39. मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण अधिनियम, 2015
40. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008

अध्याय–दो

बजट अनुभाग वित्त वर्ष 2025–26 में विभाग को ***मांग संख्या 29***–विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार राशि स्वीकृत है:–

(आंकड़े हजार में)

संक्षिप्त विवरण	बजट अनुमान वर्ष 2025–2026		
	मतदेय	भारित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
एक– राजस्व अनुभाग			
2014 न्याय प्रशासन			
(102) उच्च न्यायालय	28,23,43	3,27,64,60	3,55,88,03
(103) विशेष न्यायालय	1,27,52,13	0	1,27,52,13
(105) सिविल और सत्र न्यायालय (मतदेय)	20,18,11,28	5,00	20,18,16,28
(114) विधि सलाहकार और परामर्शदाता (मतदेय)	70,10,76	0	70,10,76
(800) अन्य व्यय	1,36,69,64	0	1,36,69,64
योग–लेखाशीर्ष 2014	**23,80,67,24**	**3,27,69,60**	**27,08,36,84**
2015–निर्वाचन			
(102) निर्वाचन अधिकरी	74,03,11	0	74,03,11
(103) निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	76,75,00	0	76,75,00
(105)संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार	1,05,15,00	0	1,05,15,00
(106) राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिये प्रभार	1,01,28,98	20,10	1,01,49,08
(108)मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	5,39,00	0	5,39,00
योग लेखाशीर्ष 2015	**3,62,61,09**	**20,10**	**3,62,81,19**

2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं			
(090) सचिवालय	34,57,37	0	34,57,37
(091) संलग्न कार्यालय	8,08,50	0	8,08,50
योग–लेखाशीर्ष 2052	**42,65,87**	**0**	**42,65,87**

2216–आवास			
(05) साधारण पूल आवास			
(053) रखरखाव तथा मरम्मत	1	4,00,00	4,00,01
योग–लेखाशीर्ष 2216	**1**	**4,00,00**	**4,00,01**

2225–अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण			
(01)– अनुसूचित जातियो का कल्याण			
(800)–अन्य व्यय	21	0	21
योग–लेखाशीर्ष 2225	**21**	**0**	**21**

2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
(60) अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम			
(200) अन्य कार्यक्रम	1,03,59,56	0	1,03,59,56
योग लेखाशीर्ष 2235(मतदेय)	**1,03,59,56**	**0**	**1,03,59,56**
योग एक राजस्व अनुभाग	**28,89,53,98**	**3,31,89,70**	**32,21,43,68**

दो–पूंजी अनुभाग			
4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01–कार्यालय भवन			
051–निर्माण	4,27,70,02	0	4,27,70,02
योग लेखाशीर्ष 4059	**4,27,70,02**	**0**	**4,27,70,02**
4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800–अन्य व्यय	55,82,13	7,54,00	63,36,13
योग लेखाशीर्ष 4070	**55,82,13**	**7,54,00**	**63,36,13**
4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01–सरकारी रिहायशी भवन			
106–साधारण पूल आवास	1	0	1
योग लेखाशीर्ष 4216	**1**	**0**	**1**
4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम			
800–अन्य व्यय	1,67,20	0	1,67,20
योग लेखाशीर्ष 4235	**1,67,20**	**0**	**1,67,20**
7610–सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
201–भवन निर्माण अग्रिम	3	3	6
योग लेखाशीर्ष 7610	**3**	**3**	**6**
योग दो–पूंजी अनुभाग	**4,85,19,39**	**7,54,03**	**4,92,73,42**
योग मांग संख्या–29–न्याय प्रशासन	**33,74,73,37**	**3,39,43,73**	**37,14,17,10**

वित्त वर्ष 2025–26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान मे निम्नानुसार राशि स्वीकृत है:–

(आंकडे रूपये में)

2014–न्याय प्रशासन			
(2052)–सचिवालय सामान्य सेवाएं			
(090)–सचिवालय			
योजना–9057–विधि और विधायी कार्य विभाग	100	0	100

अध्याय–तीन
कार्य एवं उपलब्धियाँ
न्यायिक शाखा (एक)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के लिये उच्च न्यायालय, जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय, जबलपुर की खण्डपीठ, ग्वालियर तथा इंदौर में है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधिपतिगण के 53 पद स्वीकृत है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार राज्य में स्थापित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। राज्य में जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय के अतिरिक्त दण्ड न्यायालयों के रूप में सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय कार्यरत है। विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों का निराकरण किये जाने के लिए विशेष न्यायालय जैसेः–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम अंतर्गत प्रदेश के 06 जिलों क्रमशः इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल एवं रीवा में इन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु 09 अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Court) की स्थापना की जाना प्रस्तावित है, भारतीय विद्युत अधिनियम, म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का विचारण किये जाने के लिए विशेष सेशन न्यायाधीश के न्यायालय स्थापित किए गए हैं। रेल अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटारा किये जाने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत स्थापित न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय पृथक से स्थापित हैं। ऐसे न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायालय भी विशेष मामलों के निराकरण के लिए राज्य में कार्यरत हैं।

वर्ष 2025 की न्यायिक शाखा– (एक) की जानकारी निम्नानुसार हैः–

<u>उल्लेखनीय गतिविधियाँ</u>

1. केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत न्यायिक अधोसंरचना के सुदृढीकरण हेतु उच्च न्यायालय के न्यायालय भवनों के अनुरक्षण हेतु रूपये 3,75,87,202/– एवं माननीय न्यायाधिपतिगणों के आवासगृहों के अनुरक्षण हेतु रूपये 3,68,71,993/– तथा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के आवासगृहों तथा न्यायालय भवनों के अनुरक्षण हेतु रूपयें 6,04,62,028/– की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई है।
2. महिला न्यायिक अधिकारियों द्वारा मातृत्व एवं संतान पालन अवकाश लिए जाने के दौरान न्यायिक कार्य बाधित न हो इस हेतु लीव रिजर्व पूल अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के 23 पदों का सृजन किया गया है और इन पदों के अनुरूप मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 5(बी) अंतर्गत सिविल जिलों में व्यवहार न्यायाधीशों की मानक संख्या में परिवर्तन भी किया जाना प्रस्तावित है।

3. मृतक शासकीय सेवकों के आश्रितों को अंतिम संस्कार व अन्य कार्यों हेतु दी जाने वाली अनुग्रह राशि को रूपये पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख की वृध्दि की गई है।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 02 प्रकरणों में दिये गये निर्देशों के अनुरूप तत्कालीन न्यायिक अधिकारियों की वरियता को मेंटेन करने के लिये 02 सांख्येत्तर पदों का निर्माण किया गया है।
5. मध्यप्रदेश राज्य के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र के समान ग्रेज्यूटी की सीमा राशि रूपये 20 लाख से बढ़ाकर रूपये 25 लाख किया गया है।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 986/2025 में दिनांक 20.11.2025 को दिये गये अंतरिम आदेश के अनुकम में न्यायिक सेवा के अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु को 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष किया गया है।
7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसिशन विरूद्ध भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2024 के अनुक्रम में न्यायिक अधिकारियों को अंतिम सुविधाओं संबंधी लाभ दिए जाने संबंधी जारी की गई विभागीय अधिसूचना क्रमांक 1127/21–ब(एक)/2024 दिनांक 15.03.2024 के कम में मध्यप्रदेश राज्य के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु चिकित्सा नियम 2024 का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

<u>आगामी वर्ष की कार्य योजना</u>

1. एन.सी.एम.एस. द्वारा सुझायी गई पद्धति अनुसार जिला न्यायाधीश (प्रवेश–स्तर) के 375 पदों एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के 559 पदों के सृजन के अनुकम में उच्च न्यायिक सेवा के 20 पद एवं न्यायिक सेवा के 50 पद तथा उनके अमलें के 440 पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।
2. मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) परीक्षा वर्ष 2022 में चयनित 47 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
3. केन्द्र प्रवर्तित योजना से प्राप्त राशि में से नवीन न्यायालय भवनों, अतिरिक्त न्यायालय कक्षों तथा न्यायाधीशों के आवासगृहों का निर्माण किया जाना।

न्यायिक शाखा (दो)

न्यायिक शाखा–(दो) की जानकारी निम्नानुसार है:–

न्यायिक शाखा–दो द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में स्थाई अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता तथा मध्यप्रदेश राज्य में सरकारी काउन्सेल के रूप में महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय/उप शासकीय अभिभाषक की नियुक्ति की जाती है। प्रदेश में नोटरी नियुक्ति/नोटरी लाइसेंस नवीनीकरण तथा दण्ड अभियोजको की नियुक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में एवं विशेष न्यायालय के लिए विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियुक्ति किये जाने संबंधी कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिवक्ता पंचायत में की गई घोषणाओं से संबंधी में कार्य एवं मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 के कियान्वयन तथा राज्य सभा/लोक सभा/विधान सभा के प्रश्नों संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

* माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में 05 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, 04 उप महाधिवक्तागण, एवं 01 शासकीय अधिवक्ता की राज्य शासन द्वारा नियुक्ति की गई है।
* मध्यप्रदेश में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालयों हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता–17, उपमहाधिवक्ता–09, शासकीय अधिवक्ता–114, उपशासकीय अधिवक्ता–15 तथा लगभग 250 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई हैं।
* मध्यप्रदेश में कुल 2500 नोटरी के पद स्वीकृत हैं। जिसमें 2025 में रिक्त 03 पदों पर नियुक्ति की गई है एवं वर्तमान में लगभग 70 से 80 पदों पर नियुक्ति कार्यवाही प्रचलन में है। जिसके संबंध में समय–समय पर रिक्त हुये नोटरी पदों के विरूद्ध नियुक्ति कार्यवाही एवं नोटरी लाइसेंस नवीनीकरण की कार्यवाही निरंतर की जाती है।
* अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालन हेतु विधि विभाग का आदेश दिनांक 18.07.2022 प्रभावशील है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 (18–8) के अंतर्गत पत्र प्रकरण में पैरवी हेतु कुल 09 विशेष लोक अभियोजक, आर्थिक अपराध/लोकायुक्त संगठन में कुल 06 विशेष लोक अभियोजक, श्रम/औद्योगिक/उपभोक्ता फोरम न्यायालय में 05 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की गई है।

<u>मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम, 2012 के क्रियान्वयन हेतु–</u>

1. मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रस्ताव अनुसार दिनांक 24.03.2025 को कुल 1800 नवनांमाकित अधिवक्ताओं को 1200 रूपये की सहायता राशि के मान से कुल रूपये 2,16,00,000/– (दो करोड़ सोलह लाख रूपये) के आदेश जारी किये गये है।

प्रारूपण शाखा

अध्याय–एक

भाग –अ

इस भाग में मुख्यतः प्रारूपण शाखा का कार्य होता है :–

प्रारूपण शाखा– इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेश परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

अध्याय–तीन

कार्य एवं उपलब्धियां

इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किये जाने वाले अध्यादेश का परिमार्जन करना तथा उन्हें प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है ।

2. प्रारूपण शाखा में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य भी किया जाता है :–

(1) संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होने पर उसके अनुसमर्थन का संकल्प राज्य विधान सभा में पारित कराना ।

(2) विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजने का कार्य ।

(3) राज्य विधेयकों, अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन ।

(4) विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजने के लिए भारत सरकार से पत्र व्यवहार ।

(5) राजपत्र में छपने वाले अधिनियमों एवं अध्यादेशों के त्रुटिपूर्ण पाठ का शुद्धि – पत्र बनाने का कार्य।

(6) केन्द्रीय अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में पुनःप्रकाशन का कार्य।

3. 31 दिसम्बर, 2025 तक विभिन्न विभागों के निम्न विधेयकों एवं अध्यादेश के प्रारूपों का परीक्षण किया गया एवं उनके परिमार्जित प्रारूप प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराये गये –

अध्यादेश	–	01
विधेयक	–	23

4. वर्ष 2025 में कुल 01 अध्यादेश प्रख्यापित किये गये ।

5. वर्ष 2025 में कुल 29 विधेयक विधान सभा में प्रशासकीय विभागों द्वारा पुरःस्थापित किए गए तथा 31 दिसम्बर, 2025 तक 29 अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके है।

6. वर्ष 2025 तक की स्थिति में निम्निलिखित विधेयक राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु भारत सरकार में लंबित है:–

(1) मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010)

(2) मध्यप्रदेश दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 20 सन् 2021)

(3) मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025)

(4) रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 09 सन् 2025)

पुस्तकालय शाखा

म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का पुस्तकालय विधि पुस्तकों के क्षेत्र में राज्य का एक बड़ा विभागीय पुस्तकालय है, पुस्तकालय में लगभग एक लाख पुस्तकें, पत्रिका तथा राजपत्रों का समावेश है।

पुस्तकालय में विशेषतः मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश, इन्दौर, ग्वालियर, होलकर राज्य, सी.पी. एण्ड बरार तथा भोपाल रियासत के पुराने साहित्य का भी संकलन उपलब्ध है।

पुस्तकालय शाखा द्वारा विधि परामर्शी के कार्यो हेतु व अन्य नस्तियों के निराकरण हेतु पुस्तकों का आदान–प्रदान किया जाता है। विभाग के अलावा अन्य विभागों, अधिकरण आदि की सेवा प्रदाय की जाती है। इसके साथ मध्यप्रदेश राज्य के तथा केन्द्र के मूल अधिनियमों तथा नियमों पर समय–समय पर किये गये संशोधन यथा–स्थान लगाये जाने का कार्य मुख्य रूप से होता है।

पुस्तकालय को अद्यतन बनाने के लिए लगभग 12 प्रकार की विधि पत्रिकाएं क्रय की जा रही है तथा अद्यतन विधि पुस्तकें समय–समय पर पुस्तक चयन समिति के माध्यम से क्रय की जाती है।

अभियोजन शाखा

लोकायुक्त/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एसटीएफ एवं सीबीआई तथा जिला दण्डाधिकारियों से प्राप्त प्रकरण सा.प्र.वि. के परिपत्र क्रमांक एफ–15–1/2014/1/10 दिनांक 05.09.2014 एवं 21.04.2017 के अनुक्रम में अभियोजन स्वीकृति से संबंधित कुल 1073 प्रकरण प्राप्त हुए, जो अवलोकन एवं संबंधित विभागों से होने के कारण प्रशासकीय विभागों को भेजे गए तथा सा.प्र.वि. के परिपत्र दिनांक 05.09.2014 की कण्डिका–4 के अनुक्रम में विभिन्न विभागों से कुल 13 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 04 प्रकरण निराकृत किए गए तथा 09 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। धारा 505 भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति से संबंधित 19 प्रकरण गृह विभाग से प्राप्त हुए जिनमें से 08 प्रकरण निराकृत किए गए तथा 11 प्रकरण प्रकियाधीन है।

प्रशासकीय विभागों से अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी कर, अभियोजन स्वीकृति के आदेश इस विभाग को सूचनार्थ प्रेषित किये गये हैं, जिस पर कार्यवाही की गई।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत प्रकरण प्रत्याहरण से संबंधित 46 प्रकरण अभिमत हेतु प्राप्त हुए जिनमें से 09 प्रकरण निराकृत किए गए तथा 37 प्रकरण प्रकियाधीन है।

जेल मेन्यूअल के नियम 361–362 एवं 775 के अंतर्गत समयपूर्व मुक्ति हेतु कुल 35 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 27 प्रकरण निराकृत किए गए एवं 08 प्रकरण प्रकियाधीन है एवं 12 अन्य पत्र प्राप्त हुए है, जिनमें आवश्यक कार्यवाही की गई।

इस प्रकार अभियोजन शाखा में कुल 1198 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1130 प्रकरण निराकृत किए गए।

मत शाखा

मत शाखा की जानकारी निम्नानुसार है :–

मत शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरणों में मत देने का कार्य किया जाता हैं। प्रकरणों में अतिरिक्त सचिव, सचिव स्तर के अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों पर परीक्षण किया जाकर प्रमुख सचिव (विधि परामर्शी) स्तर पर अंतिम मत दिया जाता हैं। परिमार्जन हेतु विधिक्षा शाखा से प्राप्त नस्तियों एवं विभाग की अन्य शाखाओं से प्राप्त

नस्तियों / प्रकरणों में भी आवश्यक विधिक अभिमत भी इस शाखा के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

मत शाखा में शासन के विभिन्न विभागों, मंत्रालय से 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 के दौरान एफ0टी0एम0एस पर कुल 110 प्रकरण तथा ई–ऑफिस पर कुल 305 प्रकरण, इस प्रकार कुल 413 प्रकरण मत हेतु प्राप्त हुए, जिसमें अभिमत दिया जाकर संबंधित विभागों / मंत्रालय को भेजे गये हैं तथा शेष 02 प्रकरणों में अभिमत दिये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

अनुवाद शाखा (मुख्य विधायन)

मध्यप्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों के हिन्दी अनुवाद तैयार करना तथा उनके शुद्धि–पत्र बनाने आदि का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को प्रस्तुत दया याचिकाओं और मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत अशासकीय विधेयकों के अंग्रेजी पाठ तैयार करने का कार्य भी इस शाखा को सौंपा गया है।

1. अनुवाद शाखा में लगभग 40 विधेयक / अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ मूल रूप से तथा कतिपय संशोधनों सहित प्राप्त हुए जिन पर कार्य किया गया किन्तु 31 दिसम्बर 2025 तक विभिन्न विभागों के 01 अध्यादेश एवं 23 विधेयकों के अंग्रेजी पाठ के प्रारूपों के हिन्दी अनुवाद को अंतिम रूप दिया गया एवं उनके परिमार्जित प्रारूप प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराए गए।
2. वर्ष 2025 तक कुल 01 अध्यादेश प्रख्यापित किया गया।
3. वर्ष 2025 में कुल 29 विधेयक विधान सभा में प्रशासकीय विभागों द्वारा पुरःस्थापित किए गए तथा 31 दिसम्बर 2025 तक 29 अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।
4. वर्ष 2025 तक कि स्थिति में निम्नलिखित विधेयक राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु भारत सरकार में लंबित हैं :–
   (1) मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010)
   (2) मध्यप्रदेश दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 20 सन् 2021)

हिन्दी विधायी समिति शाखा

मध्यप्रदेश शासन हिन्दी विधायी समिति शाखा को, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मध्यप्रदेश के मूलतः अंग्रेजी में पारित अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश की घटक इकाइयों में प्रवृत्त अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश पर विस्तारित तथा मध्यप्रदेश द्वारा संशोधित / समायोजित केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करने और उनका राजपत्र में पुनः प्रकाशन कराने का कार्य सौंपा गया है। हिन्दी विधायी समिति शाखा के द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद का मध्यप्रदेश के राजपत्र में पुनः प्रकाशन कराया जाता है। साथ ही विधि विभाग द्वारा

प्रशासित अधिनियम एवं नियमों से संबंधी समस्त कार्य किया जाता है एवं उक्त के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर केन्द्रीय अधिनियमों में किये जाने वाले संशोधनों/उनकें निरसन/पुर्नअधिनियमन के संबंध में मांगे गये सुझाव/विचारों से संबंधित पत्राचार किया जाता है।

वर्ष 2025 में इस शाखा द्वारा मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 में संशोधन संबंधी कार्यवाही की गई साथ ही मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 का निरसन किया गया हैं।

विधीक्षा शाखा (हिन्दी) अनुवाद

विधीक्षा शाखा (हिन्दी) के अंतर्गत सूचनाओं, अधिसूचनाओं, नियमों, भर्ती नियमों, आदेशों, उपविधियों एवं विनियमों आदि अधीनस्थ विधायन के हिन्दी प्रारूपों का परिमार्जन का कार्य किया जाता है।

1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक विभिन्न प्रशासकीय विभागों से प्राप्त लगभग 255 नस्तियों का परीक्षण कर उनका परिमार्जित हिन्दी पाठ संबंधित प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त उच्च–अधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी किए गए।

विधीक्षा शाखा (अंग्रेजी)

अध्याय–एक

भाग–अ

इस शाखा में शासन के विभागों से प्राप्त भर्ती नियमों, विनियमों, उप–विधियों, आदेशों एवं अधिसूचनाओं आदि अधीनस्थ विधायन के अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन किया जाता है।

अध्याय–तीन

कार्य एवं उपलब्धियां

इस शाखा में मुख्य रूप से प्रत्यायोजित विधान से संबंधित कार्य होता है। इसके अंतर्गत प्रशासकीय विभाग से प्राप्त नियमों, विनियमों, आदेशों, उपविधियों एवं अधिसूचनाओं के प्रारूपों के अंग्रेजी पाठ का परिमार्जन किया जाता है तथा परिमार्जन पश्चात् नस्ती हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ सहित प्रशासकीय विभाग को मूल नस्ती सहित लौटाई जाती है।

वर्ष 2025 में कुल 356 प्रकरण भौतिक नस्ती के रूप में तथा लगभग 100 प्रकरण ई–ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हुए, जिनमें से 351 भौतिक प्रकरणों तथा 97 ई–ऑफिस के प्रकरणों में अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन कर उनके हिन्दी अनुवाद के साथ नस्ती संबंधित प्रशासकीय विभागों को लौटाई जा चुकी है। 5 प्रकरणों में परिमार्जन एवं अनुवाद कार्य चल रहा है।

स्थापना शाखा

1. मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम के अनुसार इक्कीस–विधि और विधायी कार्य विभाग में म.प्र. राज्य विधिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2010, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2010 तथा म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1978 में शामिल सेवाएं, संवर्ग पद का प्रशासन किया जाता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्तियाँ, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश स्वीकृति, अवकाश नगदीकरण, प्रतिनियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ, समयमान, भविष्य निधियों, प्रशिक्षण, दण्ड तथा अभ्यावेदन इत्यादि विषयों से संबंधित कार्यवाही की जाती है।
2. फाईलों की आवक–जावक को मैनुअल रजिस्टर पंजी से पूर्णतः हटाते हुए पेपर लेस आवक–जावक को ऑनलाईन कर फाईल ट्रेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है।
3. विभाग में कर्मचारियों को कम्प्यूटर उपयोग के प्रशिक्षण का तथा त्वरित गति एवं कार्य सुविधा हेतु प्रत्येक कर्मचारियों की पृथक–पृथक कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए है।
4. शासकीय सेवकों हेतु आकस्मिक अवकाश/अर्जित अवकाश/ऐच्छिक अवकाश एवं अन्य अवकाश के आवेदन तथा उनकी रिपोर्टिंग, स्वीकृत एवं लेखांकन को पूर्णतः पेपर लेस (कम्प्यूटराईज) किया गया है।
5. विभाग द्वारा पेपरलेस आफिस प्रणाली (फाईल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम) का निर्माण, लागू किया जाना एवं सतत् अद्यतन किया जाना।
6. NIC ई–ऑफिस प्रणाली द्वारा अन्य विभागों से प्राप्त फाइलों को प्राप्त कर, कार्यवाही कर संबंधित विभागों को ई–ऑफिस के माध्यम से प्रेषित किया जाना।
7. विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के शासकीय ई–मेल खातों का निर्माण एवं शासकीय कार्य हेतु उपयोग किया जाना।
8. विभाग की नवीन वेबसाईट का GIGW & WCAG 2.0 दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण नवीन CMS BASED वेबसाईट का निर्माण प्रकियाधीन।
9. म0प्र0 माध्यस्थम अधिकरण तथा म.प्र. राज्य विधि आयोग हेतु GIGW & WCAG 2.0 दिशा निर्देशों अनुरूप निर्माण।
10. म0प्र0 माध्यस्थम हेतु फेस प्रबंधन प्रणाली ACMS 1.0 का निर्माण नवीन ACMS 2.0 का निर्माण प्रकियाधीन।
11. म0प्र0 माध्यस्थम अधिकरण के पुराने केस तथा फाईलों के DIGITIZATION का कार्य प्रकियाधीन।

12. म0प्र0 माध्यस्थम में वर्चुअल सुनवाई हेतु VIRTUAL COURT के निर्माण का कार्य प्रकियाधीन।

13. म0प्र0 माध्यस्थम अधिकरण एवं LAW DEPARTMENT में E-HRMS की प्रकिया को अपनाया जाना।

14. म0प्र0 माध्यस्थम अधिकरण में E-GRANTHALAYA प्रकिया को अपनाया जाना।

15. विधि विभाग एवं अधीनस्थ विभागों में ONLINE RTI PORTAL के माध्यम से सूचना का अधिकार संबंधी आवेदनों का निराकरण।

16. विधि विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों में CISO की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण।

17. विधि विभाग एवं अधीनस्थ विभागों के PORTAL एवं WEBSITE का प्रतिवर्ष SECURITY AUDIT एवं सतत् मानिटरिंग।

18. अनुपयोगी सामग्री का E-AUCTION के माध्यम से निष्पादन।

19. GEM के माध्यम से सामग्री कय।

20. विभाग में विडियों कॉन्फ्रेसिंग स्टूडियों की स्थापना एवं V.C. बैठकों का अयोजन।

21. वित्त वर्ष 2025–26 में 01 सहायक ग्रेड–03 को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है।

22. विभागयी पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करके वर्ष 2024–2025 में पात्रतानुसार 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले समस्त पात्र 23 शासकीय सेवकों को नियमानुसार समयमान–वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

23. सेवा निवृत्ति पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर दिये जाने वाले लाभ का समय से भुगतान किया जाता है।

24. समस्त संवर्ग/सेवा हेतु पदकम सूची (प्रावधिक) 01.01.2024 की स्थिति में जारी की गई एवं नवीन पदकम सूची का कार्य प्रचलन में है।

25. "मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण निधि–2012" के अंतर्गत नवीन नामांकित 1800 अधिवक्ताओं को राशि रूपये 2.16 करोड़ की सहायता अनुदान राशि दी गई है।

याचिका शाखा

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा या शासन के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से प्रतिरक्षण करने की कार्यवाही की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन के विरूद्ध पारित निर्णयों के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका के संबंध में समुचित कार्यवाही तथा ऐसी कार्यवाही करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग की ओर से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर मत दिया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय मे राज्य शासन की ओर से तथा राज्य शासन के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी करना तथा उच्चतम न्यायालय में फीस आदि का भुगतान करने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

याचिका शाखा में प्राप्त प्रकरणों का विवरण

प्राप्त कुल प्रकरण 7290

स.कं	प्रकरणों का विवरण	निपटाये गये प्रकरण
1.	**माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई कार्यवाही का विवरणः**	
	क–विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई जिनकी संख्या	217
	ख–विशेष अनुमति याचिका में प्रतिरक्षण संख्या	264
2.	**माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर में की गई कार्यवाहीः**	
	क– अवमानना प्रकरणों में प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये गये उनकी संख्या	459
	ख– जिन प्रकरणों में पुनर्विलोकन/रिट अपील हेतु आदेश जारी किये गये उनकी संख्या	639
	ग– जिन प्रकरणों में विधि सम्मत अभिमत दिये जाने के उपरांत नस्तियाँ लौटाई गई उनकी संख्या	79
	घ– जिन प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गए उनकी संख्या	4713
3.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में प्रतिरक्षण हेतु प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रकरणो की संख्या	07
4.	केविएट दायर करने के संबंध में महाधिवक्ता मध्यप्रदेश को निर्देश जारी किये गये उनकी संख्या	03
5.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरण	06
6.	राज्य सरकार की ओर से प्रभावी प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति आदेश जारी किये गये संख्या	33
7.	शासकीय अधिवक्ताओं को फीस का भुगतान	52

	क– समय–समय पर प्रकरण में अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान की कार्यवाही गई प्रकरण संख्या	
8.	विविध एवं अन्य प्रकरणों की संख्या	150
9.	सूचनार्थ पत्रों की संख्या	701
	कुल योग	7290

उपरोक्त सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

सिविल शाखा

सिविल शाखा में मुख्य रूप से विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण में लंबित सिविल मामलों में अपील/रिवीजन/याचिका पेश की जाती है तथा राज्य के विरूद्ध लंबित मामलों में प्रतिरक्षण के आदेश जारी किये जाते है।

वर्ष 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक कार्य विवरण :–

कुल प्रकरण – 3420 निपटाये गये – 3420 शाखा में प्राप्त लंबित प्रकरण – निरंक

क.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों/नस्तियों की संख्या
1.	**माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई कार्यवाही का विवरण :** क– विशेष अनुमति याचिका प्रकरण में अपील, प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	344
2.	**नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रकरणों में की गई कार्यवाही :** क– नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किये जाने के आदेश। ख– नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में अधिवक्ता की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये।	50 30
3.	राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली।	09
4.	क– जिला उपभोक्ता विवाद फोरम। ख– राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण। ग– सेन्ट्रल सेल टेक्स एप्लीयेट ऑथिरिटी।	08 15 10
5.	**केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर में दायर प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।**	20
6.	**एप्लीयेट ट्रिब्यूनल इलेक्ट्रीसीटी दिल्ली**	05
7.	**माध्यस्थम अधिकरण**	110
8.	**आउट ऑफ स्टेट**	50
9.	उच्च न्यायालय दिल्ली	15
10.	EPF Appellate Tribunal	01
11.	ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली	10
12.	केविएट	10

13.	सी0जी0आई0टी जबलपुर	09
14.	आर्बिट्रेटर की नियुक्ति	07
15.	माध्यस्थम पंचाट, नई दिल्ली	01
16.	माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर क– अवमानना प्रकरणों में प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ता नियुक्त एवं माननीय उच्च न्यायालय में पक्ष समर्थन। ख– जिन प्रकरणों में द्वितीय अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका एवं प्रस्तुत रिट अपील हेतु आदेश जारी किये गये। ग– जिन प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये (याचिकाऐं)।	20 174 1475
17.	कार्यालय कलेक्टर व जिलों माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीइ इंदौर, ग्वालियर से संबंधित मामलें जिनमें प्रशासकीय विभाग के माध्यम से प्रस्ताव मंगवायें जाने हेतु निर्देश दिये गये।	200
18.	सूचनार्थ पत्र	847
	कुल योग	3420

सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया

आपराधिक शाखा

वर्ष 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक कार्य विवरण :–

(अ) उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही :–

क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों/ नस्तियों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष अनुमति याचिका प्रस्ताव पर परीक्षण किया गया।	28
2.	मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका/अपील प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	635
3.	महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, उप महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ग्वालियर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों जिन्हें नस्तीबद्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया था। (रिपोर्ट प्रकरण) जो परीक्षण के उपरांत नस्तीबद्ध किये गये।	124

(ब) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर के समक्ष कार्यवाही :–

4.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा अपील/ दांडिक पुनरीक्षण प्रस्ताव पर परीक्षण कर आदेश जारी किये गये।	14

5.	मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपराधिक अपील / पुनरीक्षण / रिट याचिका में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	1327
6.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र एवं सूचनार्थ पत्रों पर की गई कार्यवाही।	2042
7.	अन्य प्रपत्र एवं स्थाई अधिवक्ताओं की फीस पर की गई कार्यवाही।	44
	कुल संख्या	**4214**

वर्ष 2025–2026 (आलोच्य अवधि)
विभागाध्यक्ष कार्यालय–मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल
भाग–एक

विभागीय संरचना :–

अध्यक्ष : मान0 न्यायमूर्ति श्री जे.पी.गुप्ता

सदस्यगण : (1) मान0 श्री बलराम यादव (न्यायिक सदस्य)
(2) मान0 श्री नर्मदा प्रसाद मालवीय(तकनीकी–न्यायिक)

रजिस्ट्रार : श्री अरविन्द कुमार गोयल

डिप्टी रजिस्ट्रार : श्री मनीष दवे

अधीनस्थ कार्यालय : निरंक

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल / उपक्रम / संस्थाओं का विवरण : निरंक

विभाग के दायित्व :– 50 हजार रू. या उससे अधिक मूल्यवर्ग के ऐसे वर्क कॉन्ट्रेक्ट विवाद जिसमें म.प्र. शासन उपक्रम एक पक्षकार है, में निपटारे हेतु अवॉर्ड जारी करना। (अंतर्गत म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम–1983)

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी:–

म.प्र.माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (अधिनियम क्रमांक 29 / 1983) 1 मार्च 1985 को प्रभावशील हुआ तथा उसी दिन अधिकरण का गठन हुआ। अधिनियम के अधीन विवाद से अभिप्रेत है रू. 50,000 / – या उससे अधिक मूल्य के किसी दावे से संबंधित कोई ऐसा विवाद जो किसी संकर्म संविदा (वर्क्स कान्ट्रेक्ट) या उसके भाग के निष्पादन या अनिष्पादन से उद्‌भूत हुआ हो तथा जिनका एक पक्षकार राज्य सरकार अथवा पूर्णतः या अंशतः राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई लोक उपक्रम हो, का निराकरण किया जाता है। अधिकरण की दो खण्डपीठें, यथा–खण्डपीठ 'पी' तथा खण्डपीठ 'आई' मुख्यालय भोपाल में ही संचालित हैं। अधिनियम की धारा–13 के प्रावधानों के अन्तर्गत जब भी सुविधाजनक अथवा आवश्यक हो, माननीय अध्यक्ष

महोदय की अनुमति से अधिकरण की सर्किट बेंच राज्य के अन्दर अन्यत्र स्थान पर भी सुनवाई हेतु नियत की जाती हैं।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

[illegible]	01.01. 2025 को लंबित निर्देश प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2025 में पंजीकृत निर्देश प्रकरणों की संख्या	पुनर्स्थापित निर्देश प्रकरणों की संख्या	कुल निर्देश प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2025 में निराकृत निर्देश प्रकरणों की संख्या	01.01. 2026 को लंबित प्रकरणों की संख्या	31.12. 2025 को लंबित विविध न्यायिक प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2025 में पंजीकृत विविध न्यायिक प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2025 में पुनर्स्थापित विविध न्यायिक प्रकरणों की संख्या	कुल विविध प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2025 में निराकृत विविध प्रकरणों की संख्या	01.01. 2026 को लंबित विविध प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2025 में पंजीकृत प्रकरणों का वाद मूल्यांकन (रू.)	दावा/प्रतिदावा में शासन को प्राप्त कुल न्याय शुल्क (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
[illegible]	[illegible]	74	14	868	121	868	20	18	01	24	23	24	5,80,25,99,38,652/-	44,98,370/-

भाग–दो

वर्ष 2025–2026 का आय व्यय बजट (एक दृष्टि में)

वर्ष	बजट आंवटन	व्यय	
2025–26	रू. 6,05,57,984.00	रू. 3,90,37,552.00	आयोजनेत्तर

(दिसम्बर, 2025 की स्थिति में)

भाग–तीन

राज्य योजनाऐं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं

(अ) राज्य योजनाऐं – निरंक

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं – निरंक

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाऐं – निरंक

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं – निरंक

(इ) अन्य योजनाऐं– – निरंक

भाग–चार

सामान्य प्रशासन विषय

(जॉच समितियॉ, किए गए अध्ययन आदि अंकित किये जाऐं)

निरंक

भाग–पॉच

अभिनव योजना

(विभाग द्वारा कोई अभिनव योजना शुरू की गई हो अथवा की जाने वाली हो उसका दर्शाया जाए)

निरंक

भाग–छः

(विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए) निरंक

भाग–सात

सारांश

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) के तहत सरकार का यह दायित्व है, कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह पाये। उसे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराकर सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराई जायें। तदानुसार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1997 के प्रावधानानुसार समाज के कमजोर वर्ग व आर्थिक रूप से गरीब असहाय, पीड़ित व्यक्तियों को समानता व समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराने के लिये निःशुल्क विधिक सेवा (विधिक सहायता / सलाह) उपलब्ध कराई जाती है। विधिक सहायता योजना के अंतर्गत संचालित एवं क्रियान्वित योजनाओं / कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभांवित कराया जाकर उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक महोदय, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देशन में समाज के कमजोर वर्ग एवं गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजनांतर्गत (विधिक सेवा–सहायता / सलाह), लोक अदालत योजना, विधिक साक्षरता शिविर एवं अन्य योजनाऐं मध्यप्रदेश राज्य में संचालित की गई है, उक्त योजनाओं का प्रचार–प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य प्रचार माध्यमों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया गया है तथा दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कर आम जनता को कानूनी जानकारी प्रदान की गई है तथा लोगो को लाभांवित कराया गया है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार योजनाऍ / कार्यक्रम संचालित एवं क्रियान्वित है:–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनायें एवं कार्यक्रम

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजना एवं उसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है :–

(अ.) विधिक सेवायें–

1. विधिक सहायता / सलाह।
2. पारिवारिक विवाद समाधन केन्द्र।
3. जिला विधिक परामर्श केन्द्र।
4. मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता।
5. लीगल एड क्लीनिक।

6. महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम।
7. श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ कार्यक्रम ।
8. मीडिएशन कार्यक्रम।

(ब.) लोक अदालत–

1. नेशनल लोक अदालत।
2. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत।
3. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (धारा 22 बी) के अंतर्गत।
4. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत।
5. जेल लोक अदालत।
6. मोबाइल लोक अदालत।
7. विशेष लोक अदालत (जैसे गैस राहत, विद्युत, बी.एस.एन.एल., बैंक इत्यादि)
8. पारिवारिक महिला लोक अदालत।
9. प्ली–बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण।

(स.) विधिक साक्षरता।

1. विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर।
2. लघु विधिक साक्षरता शिविर।
3. मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर।
4. विवाद विहीन ग्राम योजना।
5. प्रचार–प्रसार कार्यक्रम।

मध्यप्रदेश राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसके अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन निम्नानुसार चार स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है :–

1–	मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	राज्य स्तर
2–	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	उच्च न्यायालय स्तर
3–	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	जिला स्तर
4–	तहसील विधिक सेवा समिति	तहसील स्तर

"योजनायें एवं कार्यक्रम"

(अ.) विधिक सेवायें–

(1) विधिक सहायता एवं सलाह :–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा समान्य वर्ग के साथ–साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरूद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है।

विधिक सहायता/सलाह कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन ऐसा व्यक्ति विधिक सहायता/सलाह प्राप्त कर सकता है :-

1- जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है,
2- ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार कराया जा रहा हो,
3- महिला, बालक हो,
4- ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ्य या असमर्थ है निर्योग्य है ।
निर्योग्य का तात्पर्य है :-

(क) अन्धापन, (ख) कमजोर दिखाई देना, (ग) जिसे कुष्टरोग है, (घ) कम सुनाई देना, (ड.) जो चल फिर नहीं सकता, (च) जो दिमागी रूप से बीमार हो।

5- ऐसा व्यक्ति जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है,
6- ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार है (फैक्टरी, कम्पनी में काम करता है)
7- ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी है,
8- ऐसा व्यक्ति जिसकी वर्षभर की आमदनी **2,00,000/-(रूपये दो लाख)** से ज्यादा नहीं है।

किस तरह की विधिक सहायता मिलती है :-

विधिक सहायता के पात्र व्यक्ति जिसका प्रकरण अदालत में चल रहा है या चलाना चाहता है उसे मामले में लगने वाली :- 1. कोर्ट फीस, 2. तलवाना, 3. टाईपिंग/फोटोकॉपी खर्च, 4. गवाह खर्च, 5. अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च, 6.निर्णय/आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च, 7. वकील फीस ।

उपरोक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों/अधिकरणों, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है।

(2) पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, 2001'' विरचित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद जैसे पारिवारिक सम्पत्ति, भरण पोषण, बच्चों की सुरक्षा/देखभाल आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। इस प्रकार के पारिवारिक विवादों का निदान सद्‌भावपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते के आधार पर जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्रों द्वारा कराया जाता है। इस संबंध में जिले में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन दिया जा सकता है। इन केन्द्रों द्वारा कराया गया समझौता गुप्त रखा जाता है, जिससे परिवार के सम्मान में ठेस नहीं पहुँचती है।

(3) जिला विधिक परामर्श केन्द योजना :–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, 2001 बनाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जिला विधिक परामर्श केन्द्र कार्यरत् है। जिला विधिक परामर्श केन्द्र द्वारा सभी वर्ग के व्यक्तियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्तियों को जो अशिक्षा व अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्य व अधिकार नहीं जानते तथा अपने कानूनी एवं वैधानिक अधिकारों की जानकारी से वंचित रहते है या जिन्हें किसी विधिक परामर्श की आवश्यकता होती है उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श देकर उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है।

(4) मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना:–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, 2001'' बनाई गई है। यह योजना प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित मजिस्ट्रेट न्यायालयों में निरूद्ध बंदियों को रिमाण्ड प्रकरणों में पैरवी करने एवं जमानत के लिए आवेदन देने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति स्वतः या अपने रिश्तेदार द्वारा न्यायालय में बैठे मजिस्ट्रेट अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन देकर सहायता प्राप्त कर सकता है ।

(5) लीगल क्लीनिक :–

यह क्लीनिक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर एवं उसकी दोनों खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर एवं प्रदेश के समस्त जिला न्यायालयों में कार्यरत है, जिसमें निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन कार्य दिवस में योग्य अभिभाषक बैंठकर सामान्य वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह देते है ।

(6) महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम–

महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में ''महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई'' का गठन किया गया है। यह इकाई सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक कर उनकी समस्याओं का निदान करती है।

(7) श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ कार्यक्रम :–

श्रम, विधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन, श्रमिक कामगारों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला कामगारों के प्रति भेदभाव एवं उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने तथा बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य कराने से रोकने के संबंध में एवं हितग्राही को न्याय दिलाने के लिए राज्य

के प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में "श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है। कोई भी पीड़ित श्रमिक जिसके विरूद्ध अन्याय या अत्याचार हो रहा है उसे समान मजदूरी न देकर भेदभाव किया जा रहा है। वह न्याय प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये उक्त प्रकोष्ठ में जाकर आवेदन दे सकता है ।

(8) मीडियशन कार्यक्रमः–

विवादों के वैकल्पिक निराकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरणों में मध्यस्थता व आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निराकरण कराने के लिये कार्यक्रम आयोजित कराना एवं इसके लिये न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्तागण के गठित मीडियेटर्स दल को प्रशिक्षण देना।

(ब.) लोक अदालत योजनाः–

लोगों को शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, आपसी समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से लोक अदालतें दो प्रकार के प्रकरणों पर विचार करती है :–

(1) ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

(2) ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए है (प्रीलिटिगेशन)

वर्तमान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निम्न प्रकार की लोक अदालतों का आयोजन कराया जा रहा है।

1. नेशनल लोक अदालत।
2. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत।
3. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (धारा 22(बी) के अंतर्गत)।
4. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत।
5. जेल लोक अदालत।
6. मोबाइल/फील्ड लोक अदालत।
7. विशेष लोक अदालत (जैसे गैस राहत, विद्युत, बी.एस.एन.एल. बैंक इत्यादि)
8. पारिवारिक महिला लोक अदालत।
9. प्ली–बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत प्रकरण।

लोक अदालत के लाभ :–

1– पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, दुश्मनी/वैमनस्यता समाप्त हो जाती है।

2– समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है ।

3– लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्टफीस वापस हो जाती है।

4– लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत के निर्णय या आदेश/डिक्री/अवार्ड के विरूद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती ।

5– मोटर दावा दुर्घटना एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है ।

(स.) विधिक साक्षरता।

(1). विधिक साक्षरता शिविर योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता स्कीम, 1999 तैयार की गई है जिसके अनुसार उच्च न्यायालय स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर शहरी गंदी बस्तियों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है इन शिविरों में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, अधिकारीगण, महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निशक्त व्यक्ति, विधि शिक्षक, विधि विद्यार्थियों के प्रतिनिधि रहते है। विधिक साक्षरता शिविरों में अन्य वर्गो के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर उनके मौलिक एवं वैधानिक अधिकारों तथा उनके हित संरक्षण में बनाये गये विभिन्न कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरूक बनाया जाता है। छुआछूत, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूर, बाल विवाह आदि कुरीतियों एवं बुराईयों के साथ-साथ भरण पोषण, उपभोक्ता फोरम आदि विषयक नुक्कड़ नाटक तैयार किये गये है, जिनका जेसीज क्लब, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब ,गैर सरकारी एवं सरकारी विभागों के सहयोग से मंचन कराया जाकर लोगों को विधिक जागरूक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक सेवा (सहायता/सलाह), लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर आदि योजनाओं से संबंधित गीत संगीत, ऑडियों कैसेट के माध्यम से जानकारी दी जाती है तथा पम्पलेट्स, पोस्टर, हैण्डबिल्स, लिट्रेचर आदि वितरित कर वृहद प्रचार प्रसार किया जाकर अन्य वर्गो के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को भी जागरूक बनाया जा रहा है।

(2). विवाद विहीन ग्राम योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 ''विरचित की गई है, ''विवाद विहीन ग्राम'' का तात्पर्य ऐसे गांवों से है जिसमें उस गांव में रहने वाले व्यक्तियों में कोई विवाद न हो और यदि हो तो उसे आपसी सद्‌भाव, समझौते या लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटा लिया गया हो । यह कार्य जिला प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में किया जाता है ।

(3). प्रचार-प्रसार :-

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित एवं क्रियांवित योजनाओं का प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से तथा समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाता है।

➢ वित्त वर्ष 2025 (जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) की भौतिक उपलब्धियाँ :–

(अ.) विधिक सेवायें–

1– **विधिक सहायता/विधिक सलाह योजना :– वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक)** कुल 1,59,825 प्रकरणों में व्यक्तियों को विधिक सहायता/विधिक सलाह योजना के माध्यम से लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के 35,109 अनुसूचित जनजाति के 4,6999 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 1,08,476 के प्रकरण सम्मिलित है।

2– **पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :– वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक)** "पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र" योजनांतर्गत कुल 391 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है, जिसमें कुल लाभान्वित व्यक्ति 618 जिसमें अनुसूचित जाति 167, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 115 एवं पिछड़ा 235 तथा सामान्य वर्ग के 101 प्रकरण सम्मिलित है।

3– **जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना :– वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक)** जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना द्वारा कुल 4015 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 1109, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2135 तथा पिछड़ा 2911 एवं सामान्य वर्ग के 1481 प्रकरण सम्मिलित हैं।

4– **मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना :– वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक)** "मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना" द्वारा कुल 6600 प्रकरणों में 2056 व्यक्तियों को रिमाण्ड/जमानत हेतु विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति 337, अनुसूचित जनजाति के 442 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 1277 व्यक्ति सम्मिलित है।

5– **लीगल एड क्लीनिक :– वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक)** "लीगल एड क्लीनिक" द्वारा कुल 8,343 आवेदन पत्रों का निराकरण कराया गया। जिसमें अनुसूचित जाति 6008 ,अनुसूचित जनजाति के 9536 एवं पिछड़ा 12,105 तथा सामान्य वर्ग के 2,910 व्यक्ति सम्मिलित है। जिसमें कुल 23,135 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया।

6– **महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई :– वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक)** "महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई" द्वारा कुल 777 प्रकरणों का निराकरण कराते हुए, 685 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 162 अनुसूचित जनजाति के 54 एवं पिछड़ा 348 तथा सामान्य वर्ग के 121 व्यक्ति सम्मिलित है ।

7–श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ कार्यक्रम :–

वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) ''श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ कार्यक्रम'' द्वारा कुल **58** प्रकरणों का निराकरण कराते हुए, **61** व्यक्तियों को लाभावित कराया गया है।

8–मीडियशन कार्यक्रम :–

वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) मीडियशन के माध्यम से कुल **16,809** प्रकरणों का निराकरण कराया गया। साथ ही वर्ष 2025 में मीडिएशन अंतर्गत कुल 17 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिसमें न्यायिक अधिकारी 478 एवं अधिवक्तागण 24 इस प्रकार कुल 502 प्रतिभागियों का लाभान्वित कराया गया। साथ ही ;व्दम क्ंल भ्लइतपक डवकम 40 भ्तेण डमकपंजपवद ज्तंपदपदह च्तवहतंउउम कराया गया है जिसमें कुल 33 प्रतिभागी शामिल हुये।

(ब) लोक अदालतों की जानकारी–

1. **नेशनल लोक अदालत** :–वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रत्येक तीन माह के अंतराल में सभी न्यायालयों में समस्त प्रकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया कराया जा रहा है। उपरोक्त समयांतराल में **दिनांक 08 मार्च 2025, 10 मई 2025, 13 सितंबर एवं 13 दिसंबर 2025** को प्रदेश में नेशनल लोक अदालतें आयोजित की गई है, उक्त नेशनल लोक अदालत में कुल **5,73,221** प्रकरणों का निराकरण कराया गया एवं राशि रू0 **24,239,66,79,78**/–के अवार्ड/डिक्री/ मुआवजा/वसूली के आदेश पारित किए गए और कुल **8,26,773** पक्षकारों को लाभांवित कराया गया।

2. **स्थायी एवं निरंतर लोक अदालतः**– वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) कुल 203 लोक अदालतें आयोजित की जाकर 1,439 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के 1545 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 387 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 1250 प्रकरण सम्मिलित है।

3. **लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतः**– वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) कुल 542 लोक उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत की बैठकें आयोजित की जाकर 128 प्रकरणों का निराकरण कराया गया। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के 16 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 102 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 131, प्रकरण सम्मिलित है।

4. **महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत** :–वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जानकारी निरंक है।

5. जेल लोक अदालत :–वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) कुल 27 जेल लोक अदालतें आयोजित की गई जिनमें कुल 10 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर लगभग 10 अभियुक्त को लाभान्वित कराया गया।

(स.) विधिक साक्षरता शिविर योजना।

1. **विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर** :–_वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) कुल 11,827 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर 7,56,476 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 1,00,019 अनुसूचित जनजाति के 1,13277 एवं पिछडा तथा सामान्य वर्ग के 5,43,180 व्यक्ति सम्मिलित है।

2. **लघु विधिक साक्षरता शिविरः**–वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) कुल 1013 लघु विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर 4,6027 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 8,049 अनुसूचित जनजाति के 7902 एवं पिछडा तथा सामान्य वर्ग के 30076 व्यक्ति सम्मिलित है।

3. **मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविरः**–वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) कुल 407 मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर 33,927 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है।

4. **प्रचार–प्रसार कार्यक्रम** :– वर्ष 2025 (माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिये बुकलेट, पेम्पलेट, बोसर्स, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से प्रादेशिक एवं जिला तथा तहसील स्तर तक प्रचार–प्रसार कराया गया हैं, जिसके कारण से जनसामान्य एवं दूर–दराज ग्रामीण अंचलों के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं के माध्यम से लाभांवित कराया गया है।

5. **लीगल एड क्लीनिक / फ्रन्ट ऑफिस में प्रशिक्षित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स की सेवाएः**– वर्तमान में कुल 1,126 लीगल एड क्लीनिक्स स्थापित एवं कार्यरत् है और वर्तमान में कुल प्रशिक्षित 2,639 पैरालीगल वॉलेन्टियर्स में से 1,439 पैरालीगल वॉलेन्टियर्स द्वारा लीगल एड क्लीनिक्स, फ्रन्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जेल / सम्प्रेषण गृह, किशोर न्याय बोर्ड / बाल कल्याण गृह तथा अन्य स्थानों पर सेवाऐं दी जा रही है।

वित्त वर्ष 2025–2026 (अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक) की वित्तीय उपलब्धियॉः–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों को आवंटित राशि में से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा वर्ष 2025 (माह अप्रैल से दिसंबर 2025 तक) राशि रूपये 8,13,889 / – का व्यय किया गया।

———00———

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल–2026

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल-2026.